भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3915

जिसका उत्तर 12 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

21 श्रावण, 1948 (शक)

इंडिया-एआई मिशन को सुदृढ़ करने के लिए क्षेत्रीय भाषा मॉडलों का एकीकरण

3915. श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण जिलों, विशेष रूप से महाराष्ट्र के बीड में डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर घोटालों और "डिजिटल अरेस्ट" धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं का आकलन किया है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का किसानों, छात्रों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और छोटे व्यापारियों को सुरक्षित डिजिटल प्रक्रिया के संबंध में जानकरी देने के लिए टियर-2 और टियर-3 क्षेत्रों में जिला स्तरीय साइबर स्वच्छता और डिजिटल जागरूकता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास मराठी सहित क्षेत्रीय भाषा मॉडलों को एकीकृत करके इंडिया-एआई मिशन को सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है, ताकि ग्रामीण नागरिकों के लिए डिजिटल सार्वजनिक सेवाएं, साइबर जागरूकता और तकनीकी सहायता आसानी से सुलभ हो सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का बीड जैसे जिलों में लोगों को साइबर धोखाधड़ी की तुरंत रिपोर्ट करने और समय पर मार्गदर्शन प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक समर्पित 24×7 बहुभाषी साइबर हेल्पलाइन, मोबाइल एप्लिकेशन, व्हाट्सएप-आधारित सहायता और गांव-स्तरीय डिजिटल सहायता तंत्र शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत सरकार की नीतियों का उद्देश्य देश में उपयोगकर्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबर स्पेस सुनिश्चित करना है। सरकार साइबर धोखाधड़ी सहित डिजिटल प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले जोखिमों और हानियों से अवगत है। भारतीय न्याय संहिता, 2023, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 और अन्य संबंधित कानूनों ने मिलकर साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक ढांचा स्थापित किया है।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम"):</u>

- धारा 66 ग में पहचान की चोरी के लिए तीन साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है ।
- धारा 66घ के तहत कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी करने पर तीन वर्ष तक की कारावास और एक लाख रुपये तक का जुर्माना निर्धारित है।

● धारा 66 के तहत कंप्यूटर संबंधी अपराधों के लिए तीन वर्ष तक की कारावास या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

● धारा 43 में कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम आदि को हुए नुकसान के लिए दंड और मुआवजे का प्रावधान है।

<u>भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023</u>

बीएनएस, 2023 संगठित अपराध (धारा 111), लोक सेवक का प्रतिरूपण (204), जबरन वसूली (308), धोखाधड़ी (318), प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी (धारा 319), जालसाजी (धारा 336) आदि और अन्य साइबर-सक्षम धोखाधड़ी से जुड़े अपराधों को संबोधित करता है।

<u>डिजिटल जागरूकता पहल:</u>

सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए): एमईआईटीवाई सूचना सुरक्षा में मानव संसाधन पैदा करने और जनता के बीच साइबर स्वच्छता और साइबर सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए 'सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए)' पर एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है।

- जन जागरूकता घटक के तहत, देश भर में 6,650 जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं, जिनमें छात्रों, शिक्षकों, कानून प्रवर्तन कर्मियों, सरकारी अधिकारियों और आम जनता सहित 11.37 लाख से अधिक प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
- इनमें से 224 जागरूकता कार्यशालाएं महाराष्ट्र में आयोजित की गईं, जिसमें 35,000+ प्रतिभागियों को शामिल किया गया।
- इसके अलावा, हैंडबुक, लघु वीडियो, पोस्टर, ब्रोशर, बच्चों के लिए कार्टून कहानियों आदि के रूप में बहुभाषी जागरूकता सामग्री प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया और www.isea.gov.in और https://staysafeonline.in/ के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित की जाती है ।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट): नाइलिट, एमईआईटीवाई के तहत एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसायटी और आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय स्तर की क्षमता निर्माण संस्थान, युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कौशल से लैस करने के लिए एआई, साइबर सुरक्षा, साइबर कानून और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में विभिन्न पहल कर रहा है।

- नाइलिट देश भर में 56 केंद्रों और 9,000+ भागीदार संस्थानों के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- राज्य में कौशल विकास कार्यकलापों की समग्र निगरानी के लिए नाइलिट का महाराष्ट्र में अपना 01 (एक) केन्द्र (छत्रपति संभाजीनगर में) है।
- महाराष्ट्र राज्य में, नाइलिट की 700 से अधिक भागीदार संस्थानों के साथ उपस्थिति है, जिनमें बीड जिले में 16 संस्थान शामिल हैं, जो प्रशिक्षण और जागरूकता प्रदान करते हैं।
- आईटी और आईटीईएस क्षेत्र में, नाइलिट के कार्यक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, ऑफिस ऑटोमेशन, मल्टीमीडिया और अन्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों जैसी कई तकनीकों को कवर करते हैं।
- पिछले 3 वर्षों में, नाइलिट ने विभिन्न कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के तहत महाराष्ट्र राज्य में 1.2 लाख+ को प्रशिक्षित किया है।

नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी (एनडीयू) प्लेटफॉर्म: नाइलिट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों और अन्य फ्रंटियर डोमेन में ऑनलाइन और मिश्रित कौशल-आधारित पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी (एनडीयू) प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है।

- इस प्लेटफॉर्म में सेमीकंडक्टर डिजाइन, साइबर सुरक्षा, साइबर फोरेंसिक, उद्योग 4.0 और अन्य उभरते डोमेन में वास्तविक समय के प्रयोग के लिए बिल्ट-इन वर्चुअल लैब भी हैं।
- एनडीयू प्लेटफॉर्म के माध्यम से, प्रत्येक शिक्षार्थी को कभी भी-कहीं भी राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) संरेखित पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्राप्त हो सकती है, इस प्रकार डिजिटल विभाजन को पाटने में सहायता मिलती है।
- अब तक 2.77 लाख+ उम्मीदवारों ने नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म के तहत पंजीकरण कराया है।

ई-सेफएचईआर: यह सी-डैक हैदराबाद के माध्यम से एमईआईटीवाई के सूचना सुरक्षा शिक्षा और जागरूकता (आईएसईए) कार्यक्रम के तहत संचालित एक साइबर सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण पहल है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण भारत में महिलाओं के बीच अंतिम छोर तक साइबर सुरक्षा जागरूकता को मजबूत करना है, जो वित्तीय लेनदेन, आजीविका और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ तेजी से जुड़ रही हैं।

इंडियाएआई मिशन - क्षेत्रीय भाषा मॉडल

सरकार, इंडियाएआई मिशन और डिजिटल इंडिया भाषिणी के माध्यम से मराठी सहित भारतीय भाषाओं में डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए भारत के बहुभाषी एआई इकोसिस्टम को मजबूत कर रही है, साथ ही भीली जैसी जनजातीय भाषाओं के लिए एआई समर्थन का भी विस्तार कर रही है।

भाषिनी पर मराठी भाषा को स्वचालित वाक् पहचान (एएसआर), टेक्स्ट-टू-स्पीच (टीटीएस), न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन (एनएमटी), ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर), लिप्यंतरण और ध्वनि-आधारित संवादात्मक एआई सहित मूलभूत भाषा प्रौद्योगिकियों के माध्यम से समर्थन प्राप्त है। भाषिनी उच्च गुणवत्ता वाले भाषा डेटासेट, एआई-सक्षम भाषा प्रौद्योगिकियों और पारिस्थितिकी तंत्र साझेदारी के विकास के माध्यम से मराठी भाषा संसाधनों को मजबूत करना जारी रखे हुए है, जिससे अधिक सटीक, समावेशी और संदर्भ-जागरूक एआई अनुप्रयोगों को सक्षम बनाया जा सके। भाषाओं के लिए भारत के एआई-संचालित डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के रूप में, भाषिनी आज 36 भारतीय टेक्स्ट लैंग्वेज और 23 भारतीय वॉयस लैंग्वेज का समर्थन करता है, 800 से अधिक सरकारी वेबसाइटों को शक्ति प्रदान करता है, 9 बिलियन से अधिक संचयी एआई अनुमानों को सक्षम करता है, और प्रतिदिन 24 मिलियन से अधिक एआई अनुमानों को संसाधित करता है, जिससे डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं तक निर्बाध भाषा-पहली पहुंच सक्षम होती है।

इंडियाएआई मिशन और भाषिणी इकोसिस्टम के तहत, सरकार शिक्षाविदों, स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थानों, उद्योग और भाषा विशेषज्ञों के सहयोग से स्वदेशी बहुभाषी एआई अनुप्रयोगों और उच्च गुणवत्ता वाले भाषा डेटासेट के विकास को बढ़ावा दे रही है। भाषाई समावेशन को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिक, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में, एआई-सक्षम सरकारी सेवाओं को अपनी पसंदीदा भाषा में प्राप्त कर सकें, भीली सहित कम संसाधन वाली और आदिवासी भाषाओं के लिए भी इसी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं।

<u>राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी)</u>

एनसीआरपी को 20 जनवरी 2020 को भारत के माननीय गृह मंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। (https://cybercrime.gov.in/)। एनसीआरपी पोर्टल की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- सभी प्रकार की साइबर अपराध की घटनाओं की रिपोर्ट कहीं से भी की जा सकती है।
- राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरीय निगरानी डैशबोर्ड।
- शिकायतकर्ता के लिए ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग सुविधा।
- एक नया मॉड्यूल "सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम" विकसित किया गया है, जो 85 बैंकों/भुगतान मध्यवर्तियों और वॉलेट आदि को साइबर क्राइम बैकएंड पोर्टल से जोड़ता है। इससे नागरिकों को राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने में मदद मिलती है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 चल रहा है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर घोटाले, डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी और अन्य साइबर अपराधों सहित अपराधों की रोकथाम करने, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। केन्द्र सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एलईए की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परामर्शी निदेशों और वित्तीय सहायता के माध्यम से उनकी पहलों में सहायता करती है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "भारत में अपराध" में अपराधों पर सांख्यिकीय आंकड़ों को संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट https://www.ncrb.gov.in पर देखी जा सकती है ।
